

देखते हैं कि गवर्नर ने यह कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री दरवारा सिंह के अनुसार राज्य की हालत बिगड़ रही है और इसीलिए सरकार को भंग करने का अनुरोध किया गया है। मैं नहीं समझता कि इस बात की क्या आवश्यकता थी। अगर गवर्नर को वहां की हालत ऐसी लगती थी तो स्वयं प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते थे, किसी के कहने के अनुसार राय देने का क्या अर्थ है।

दूसरी बात जब सरकार भंग की गई और इसलिए की गई कि वहां की हालत अच्छी नहीं है और सरकार उसको ठीक करने में सक्षम नहीं है तो वहां विधान सभा को भंग क्यों नहीं किया गया। शायद इसके पीछे यह भावना रही हो कि किसी तरह से अकाली दल के साथ या किसी और के साथ मिलजुल करके फिर सरकार बनाने का मौका मिले। जब इस तरह की बातों की संभावना थी तो फिर इस पर अमल क्यों नहीं किया गया। सालभर पहले की बात है तब बात चल पड़ी थी कि अकाली दल के सहयोग से सरकार बने, फिर बाद में यह बातचीत बंद कर दी गई क्योंकि उसमें सत्तारूढ़ दल के लोगों का हित साधन नहीं हो रहा था।

तीसरी बात यह है कि इस आर्डिनंस के पास होने के बाद पंजाब में कितनी गिरफ्तारियों हुई हैं उसमें एकट्रीमिस्ट और हिंसक तत्व कितने थे। मैं यहां पर स्मगलर्स और साधारण अपराधियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर पंजाब की स्थिति बिगाड़ने का दोषारोपण किया जा सकता है। उनमें से कितनों को गिरफ्तार किया गया? अगर उनकी संख्या नगण्य है तो फिर इस कानून की क्या आवश्यकता थी।

एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कानून इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि दोषी व्यक्ति भले ही बच जाए लेकिन किसी निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस आर्डिनंस के जरिए आपने मामूली से पुलिस के हवलदार को या सेना के मामूली अधिकारी को इतने अधिकार

दे दिए हैं कि वह बिना किसी ट्रायल के सजा दे सकता है। इस तरह से नागरिकों को जो संविधान में मूल अधिकार मिले हुए हैं उनका हनन होता है।

इन शब्दों के साथ मैं इन सब बिलों का विरोध करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि मंत्री महोदय इन पर विचार करें और इंट्रोज्यूज न करें।

SHRI P.C. SETHI : There is nothing more that I can add to what my colleague, Shri Laskar has said. Hon. Members will get ample opportunity when the discussion on the Bill comes. At the stage of introduction, the question of discussion on the merits and demerits of the Bill does not arise.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to make better provision for the suppression of disorder and for the restoration and maintenance of public order in disturbed areas in Chandigarh."

*The motion was adopted.*

SHRI P.C. SETHI : I introduce the Bill.

15.10 hrs.

STATEMENT GIVING REASONS FOR IMMEDIATE LEGISLATION BY THE CHANDIGARH DISTURBED AREAS ORDINANCE, 1983.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : I beg to lay on the Table an Explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Chandigarh Disturbed Areas Ordinance, 1983.